

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

80 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

20.09.2022

01.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री सवाई सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह एफ.बी.ओ. मैसर्स महारानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार राधा दामोदर कुण्ड के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज. निवासी ग्राम सिलोर पोस्ट समोदरा जिला बाडमेर राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपरिथत—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी श्री सवाई सिंह स्वयं।

:-निर्णय:-

दिनांक 01.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.02.2022 को समय 01:41 पीएम पर मैसर्स महारानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार राधा दामोदर कुण्ड के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री सवाई सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सवाई सिंह ने स्वयं को मैसर्स महारानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार राधा दामोदर कुण्ड के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **मावा (Khoya)** दुकान के काउन्टर में स्टील की ट्रे में लगभग 2-3 किलोग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सवाई सिंह को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सवाई सिंह व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मावा (Khoya)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर स्वीद प्राप्त की।



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा (Khoya) 1 किलोग्राम को प्लारिटक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शीशी में 250-250 ग्राम मावा भरकर प्रत्येक शीशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मलिन की 20-20 बूंदें-बूंदें जालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3072 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से विपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/733 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./757/एक्ट/2022/793 दिनांक 08.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया मावा (Khoya) एक एस.एस.ए. की धारा 3(i)(2x) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजावायी गयी।

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त उक्त जांच रिपोर्ट के विरुद्ध श्री सवाई सिंह ने समयावधि में नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजावाया जिसकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एकटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./403 एक/2022 दिनांक 02.08.2022 के अनुसार उक्त नमूना एक एस.एस.ए. की धारा 3(i)(2x) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजावायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री सवाई सिंह स्वयं उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शारित आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश जालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा (Khoya)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भासी से **अवमानक (Sub-Standard)** दण्डित किया जावे।



हमने आपाथी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। आपाथी के पास से लिया गया **मावा (Khoya)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः आपाथी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से आपाथी पर शारित रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये ज़िन्दी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव दरण मीना)
अतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक-राज0